

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 08/2016 प्रार्थना पत्र 14(4)

- | | | |
|--------------|---|--|
| 1. कंवरपाल | } | पुत्रान श्रीला जाति गुर्जर निवासी मूंडिया
तहसील लालसोट जिला दौसा। |
| 2. हरकेश | | |
| 3. हरज्ञान | | |
| 4. धोल्या | | |
| 5. प्यारेलाल | | |

प्रार्थीगण

- | | | |
|---------------------|---|--|
| | | <u>बनाम</u> |
| 1. मोहरपाल | } | पुत्रान रामचन्द्र जाति चमार निवासी मूंडिया |
| 2. रामचन्द्र | | तहसील लालसोट जिला दौसा। |
| 3. राज. सरकार जरिये | | तहसीलदार लालसोट जिला दौसा। |

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : श्री बृजमोहन गौड अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।

: श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 लगा 3 उपस्थित।

—:निर्णय:—

दिनांक: 13.09.2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम मूंडिया तहसील लालसोट में आराजी पूर्व खसरा नं. 64 रकबा 29 बीघा 7 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि सिवायचक भूमि थी जिस पर मु. ग्यारसी बेवा रेवड जाति गुर्जर का कब्जा था। इस भूमि में से रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के पिता स्व. रामचन्द्र पुत्र गिरधारी जाति गुर्जर के नाम दिनांक 17.12.70 को होने का उल्लेख नामा. सं. 27 दिनांक 14.6.71 में अंकित किया हुआ है। उक्त नामा. स्व. रामचन्द्र के नाम पटवारी हल्का द्वारा लिस्ट के आधार पर भरा जाना अंकित है। आवंटी बताये गये रामचन्द्र के नाम से आवंटन पत्रावली जिला अभिलेखागार में विद्यमान नहीं है। तहसीलदार लालसोट द्वारा उक्त रामचन्द्र के नाम आवंटन का नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के बाद उसका नाम राजस्व अभिलेख में अंकित कर दिया गया किन्तु आवंटी के नाम नियमानुसार आवंटन नहीं होने के कारण उक्त आवंटी बताये गये व्यक्ति का कब्जा नहीं हुआ। उक्त आराजी के आठ बीघा भूभाग पर मु. ग्यारसी बेवा रेवड का कब्जा तथाकथित आवंटन से पूर्व का चला आ रहा था। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के पक्ष में तथाकथित आवंटन आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अभिलेखागार में आवंटन सम्बन्धी कोई पत्रावली नहीं होना व आवंटन रजिस्टर 1970 तहसील लालसोट में अप्रार्थीगण के नाम कोई आवंटन नहीं होना पाया गया। प्रार्थीगण द्वारा नामान्तरकरण की नकल हेतु आवेदन कर दिनांक 9.6.16 को नकल प्राप्त की गई। जिसमें अप्रार्थीगण के नाम लिस्ट अनुसार दिनांक 17.12.70 को आवंटन का उल्लेख कर नामान्तरकरण तस्दीक होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये तथाकथित आवंटन आदेश दिनांक 17.12.70 को निरस्त फरमाये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत किया गया है।





प्रति० जिला कलक्टर
दौसा



प्रार्थना पत्र पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 1 व 2 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम मूंड़िया तहसील लालसोट में ख. नं. 64 रकबा 29 बीघा 7 बिस्वा सिवायचक भूमि पर मु. ग्यारसी बेवा रेवड का कब्जा रहा है। तहसीलदार लालसोट ने दिनांक 3.1.97 को तत्कालीन सहायक कलक्टर लालसोट के न्यायालय में प्रार्थना पत्र सं. 2/97 अ. धारा 175 प्रस्तुत किया एवं न्यायालय से उक्त ख. नं. 64 की 12 बीघा भूमि पर कब्जा मु. ग्यारसी का बताते हुए भूमि को सिवायचक घोषित करने की प्रार्थना की। इस बाबत हमे नोटिस दिया गया। हमने जवाब दिया। प्रार्थना पत्र अ. धारा 175 का प्रोविजन अवैध हस्तान्तरण के बाबत है। सहायक कलक्टर लालसोट ने उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 22.12.99 को निरस्त फरमाते हुए फैसले में निर्देश दिये कि 14(4) का प्रकरण बनता है। न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट में वाद उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 21.8.97 को मु. ग्यारसी द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया। मु. ग्यारसी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को न्यायालय ने दिनांक 4.12.97 को निरस्त फरमा दिया। जिसके विरुद्ध मु. ग्यारसी द्वारा न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर शिविर दौसा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 7.12.99 को हमारे हक में स्वीकार फरमा दिया। उसके विरुद्ध ये रेवेन्यू बोर्ड गये। जो खारिज हो गया। मु. ग्यारसी के कोई संतान नहीं होने के कारण उसके द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में वसीयतनामा दिनांक 22.8.91 को पंजीकृत करवा दिया। जिसके फलस्वरूप हम दावे में पक्षकार हुये और सहायक कलक्टर के आदेश के अनुसरण में हमने 14(4) का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। पटवारी हल्का द्वारा मात्र नामान्तरकरण के प्रकोष्ठ सं. 14 में लिस्ट के अनुसार अंकित कर नामान्तरकरण भरा था। जिसे तहसीलदार द्वारा अनाधिकृत व अनियमित रूप से तस्दीक किया। नामान्तरकरण हमेशा आदेश के मुताबिक होता है ना कि किसी लिस्ट के आधार पर होता है। उक्त जमीन पर इनका कभी कब्जा रहा ही नहीं है। आवंटी की मृत्यु हो चुकी है। आवंटी के वारिसान का भी कब्जा नहीं है। प्रार्थना पत्र अ. धारा 175 के दावे में इनको हिदायत दी गई थी कि 183 में दावा प्रस्तुत करे। इनके हक में आवंटन का कोई आधार बनता ही नहीं है। अप्रार्थीगण के पूर्वज के नाम कोई आवंटन आदेश संदर्भित दिनांक 17.12.70 को पारित ही नहीं हुआ। मुझे 14(4) प्रस्तुत करने के लिये निर्देश दिये गये थे इसलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 17.12.70 निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 1 लगा० 3 द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 17.12.1970 का कोई आवंटन ही नहीं है। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा आवंटन की कोई सत्यापित नकल भी प्रस्तुत नहीं की है। बिना सत्यापित नकल के कोई केस नहीं चल सकता है। प्रार्थीगण 50 वर्ष बाद आवंटन खारिज करवाना चाहते हैं। हमे उक्त भूमि की खातेदारी मिल चुकी है। प्रार्थीगण ने आवंटनशुदा जमीन पर कब्जा कर लिया है, परन्तु कब्जे के आधार पर प्रकरण नहीं बनता है। दावा 1999 से चल रहा है। परन्तु 14(4) बहुत देरी से प्रस्तुत किया है। उसकी प्रति भी संलग्न नहीं की है। प्रार्थीगण कह रहे हैं कि अधिघोषणा का दावा पेश कर रखा है। यदि अधिघोषणा का दावा प्रस्तुत कर रखा है तो उसमें तय हो जायेगा। ऐसे में 14(4) की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवंटन है तो अधिघोषणा किस बात की। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज फरमाया जावे।


प्रति० जिला कलक्टर
दौसा



प्र. सं.: 08/2016 प्रार्थना पत्र 14(4)

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भली प्रकार से अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण का आवंटन 17.12.1970 का है जिसे लगभग 48 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है एवं आवंटी के नाम नामान्तरकरण खुलकर आवंटी को खातेदारी मिल चुकी है। उक्त विवादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद उदघोषणा का होना बहस के दौरान अधिवक्तागण ने कथन किया है। अगर उदघोषणा का वाद विचाराधीन है तो उसी से अधिकार तय होने है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 14(4) चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।


उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक 13.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा



(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा
प्रति० जिला कलक्टर
दौसा

